न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. वरींगा पुत्र दानाजी जाति मेघवंशी निवासी करवाड़ा तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. अमरा पुत्र दाना कौम मेगवंशी निवासी करवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 27.01.2022

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा में खसरा नबंर 1673/1100, रकबा 0.76 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का आया हुआ है। उक्त खातेदारी खेत में आवागमन हेतु मौके पर कोई रास्ता नहीं है तथा रास्ते के अभाव में बरसात के दिनों में ट्रेक्टर से फसलों की बुवाई व जुताई नहीं कर पाता है तथा प्रतिदिन घर से स्कुल जाने वाले बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिदिन रास्ता नहीं होने की समस्या से जुझना पड़ रहा है तथा रास्ते की स्थायी समस्या से निजात पाने हेतु प्रार्थी धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी की आराजी खसरा नबंर 1098 व 1673/1100 की आराजी के चारों तरफ हमारे नजदीकी भाइयों की आराजी आई हुई है तथा इस आराजी का बंटवाड़ा भी सन् 2003–2004 के लगभग हुआ था। उक्त बंटवाड़ा हुआ तब बंटवाड़ा करते समय रास्ता नहीं दिया गया था। बंटवाड़ा के समय मुझ प्रार्थी को भविष्य में आने वाली समस्या का पता नहीं था तथा अनपढ़ होने के कारण बंटवाडे में रास्ता का समाधान नहीं हो सका, मगर वर्तमान समय में रास्ता नहीं होने से मौके पर भारी समस्या पैदा हो रहीं है तथा मुझ प्रार्थी की उक्त आराजी में आने जाने का कोई भी वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। मुझ प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। इसलिये मै प्रार्थी रास्ता का हक प्राप्त करता चाहता हुं। प्रार्थी का एक दुसरा खेत खसरा नबंर 1671/1096 रकबा 0. 37 हैक्टर आया हुआ है। उक्त खसरा नबंर [illegible]/1096 की आराजी गै.मु. वाला के लगतो लागत आई हुई है तथा वाला में [illegible] हु रास्ता की पहुंच बना लेता हुं। मेरे विचार से मेरे दोनों खसरा [illegible] 1671/1096 [illegible] 1097 तथा 1673/1100 के बीच में खसरा नबंर 1097 की आराजी में से रास्ता दिया जाने पर सबसे नज[illegible]होगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.17 12:11:59 IST
Reason: SelfAttested

सरहद मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा के खसरा नबंर 1098 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै. मु. ढाणी व खसरा नबंर 1673/1100 रकबा 0.76 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम मय रहवासीय घर तक आवागमन व कृषि उपकरण व ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु रास्ता दिलवाये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थी 1 की ओर जरिये अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अदालत हाजा को गुमराह करने की नियत से प्रकरण हाजा में गलत तथ्य वर्णित किये है तथा वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 सरकार द्वारा भी वास्तविक तथ्यों को छुपाकर वास्तविक तथ्यों को अदालत हाजा के दृष्टिपटल पर जानबुझ कर नहीं लाये है। वास्तव में मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा के खेत खसरा नबंर 1074, 1096, 1089, 1091, 1026, 1073, 1097, 1098, 1100, 1070, 1071, 1099 की भुमि बाबत् प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 तथा उक्त आराजी के अन्य खातेदारान के बीच उक्त आराजी का विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु एक बंटवाडा दस्तावेज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2001 में दिनांक–08.12.2001 को निष्पादीत किया गया था तथा तत्समय नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त बंटवाडा दस्तावेज के आधार पर दिनांक–08.12.2001 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 तथा अन्य सहखातेदारान के बीच बंटवाडा करने बाबत् आदेश पारित किया था। कालान्तर में उक्त बंटवाडा करने बाबत् दस्तावेज के पक्षकार धन्ना पुत्र दाना जाति मेघवाल निवासी करवाडा ने उक्त बंटवाडा आदेश दिनांक 08.12.2001 के विरूद्व एक अपील श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जालोर की अदालत में पेश की थी जो अपील संख्या 19/2016 अनवान धन्ना बनाम अमरा दर्ज रजिस्टर की गई थी तथा प्रकरण हाजा में प्रार्थी उक्त अपील संख्या 19/2016 में बतौर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 पक्षकार था तथा बाद सुनवाई उक्त अपील संख्या 19/2016 को भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जालोर ने दिनांक 19.12.2017 को खारीज किये जाने के आदेश पारित किये थे। नकल आदेश व अपील व बंटवाडा दस्तावेज संलग्न जवाब पेश है। उक्त अपील संख्या 19/2016 में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2017 के विरूद्व उक्त धन्ना द्वारा एक अपील श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी पाली केम्प जालोर में पेश की थी जो अपील संख्या 3/2018 अनवान धन्ना बनाम अमरा वगैरा विचाराधीन है तथा उक्त अपील संख्या 3/2018 में प्रकरण हाजा में प्रार्थी वरींगा बतौर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 संयोजित है तथा उक्त अपील संख्या 3/2018 में अपीलाण्ट धन्ना की अपील के तथ्यों को प्रकरण हाजा में प्रार्थी वरींगा द्वारा (उक्त अपील संख्या 3/18 में रेस्पोडेण्ट संख्या 2) स्वीकार करने पर अदालत श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा दिनांक 21.3.2018 को मौजा करवाडा के खसरा नबंर 1074, 1096, 1089, 1091, 1026, 1073, 1097, 1098, 1100, 1070, 1071, 1099 कुल रकबा 11.01 हैक्टर भुमि के आगामी पेशी तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे तथा उक्त अपील संख्या 3/2018 अभी भी श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में विचाराधीन है तथा सुनवाई हेतु तारीख पेशी दिनांक 23.3.2021 को नियत है। अतः यहां यह वर्णित किया जाना भी उचित होगा कि अपील संख्या 3/2018 में राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार रानीवाडा बतौर रेस्पोडेण्टस संख्या 5 पक्षकार संयोजित है। उक्त तमाम तथ्य प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ने छुपाकर अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 11.3.2020 को प्रार्थी [illegible] के पिछे मौका देखा गया है। इसलिये मौका फर्द दिनांक 11.3.2020 अ[illegible]सं[illegible] है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिज खारीज है। प्रार्थना पत्र का [illegible] संख्या 3 [illegible] होने से अस्वीकार है तथा जवाब है कि मौजा करवाडा तह[illegible] खसरा संख्या 1673/1100, 1098, 1671/1096, 1096 का राजस्व रेकर्ड में इ[illegible] बंटवाडा आदेश दिनांक 8.12.2001

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.17 12:11:59 IST
Reason: SelfAttested

के आधार पर किया गया है तथा बंटवाडा आदेश दिनांक 8.12.2001 के आधार पर किया गया है तथा बंटवाडा आदेश दिनांक 8.12.2001 को उक्त अपील संख्या 3/2018 में चुनौती दी गई है। इसलिये प्रार्थी मौजा करवाडा के खसरा नबंर 1096 में से प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। मौका रिपोर्ट दिनांक 11.3.2020 भी अप्रार्थी संख्या 1 के पीठ पिछे तैयार की गई होने से अविश्वसनीय है तथा काबिज खारीज है। खसरा नबंर 1096 में मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 की ढाणी बनी हुई है। तथा मौका फर्द दिनांक 11.3.2020 में मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 की ढाणी होने का कथन वर्णित नहीं किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा काबिज खारीज है।

4. अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार रानीवाडा से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार जाँच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा रिपोर्ट पत्रांक 6213 दिनाँक 13.08.2020 पेश कि गई। जिसके तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम करवाडा के खसरा नबंर 1098 रकबा 0.03 हैक्टर गै. मु. ढाणी व खसरा नबंर 1673/1100 रकबा 0.76 हैक्टर बारानी प्रथम के खातेदार प्रार्थी श्री वरींगा पुत्र दाराजी जाति मेघवाल साकिन करवाडा है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत में आवागमन हेतु मौके पर सरकारी रास्ता नहीं है। परन्तु प्रार्थी दुसरों के खातेदारी खेत में से वर्तमान में आवागमन करता है। खसरा नबंर 1098 व 1673/1100 के चारों तरफ प्रार्थी के भाईयों की खातेदारी भुमि है। यह भुमि पुर्व में सामलाती थी जिसका बंटवाडा 2003–04 में हुआ है। उस समय बंटवाडा करते समय खातेदारों को एक–दुसरे खेत में आने जाने हेतु रास्ता नहीं छोडा गया। प्रार्थी के ग्राम करवाडा में दुसरा खेत खसरा नबंर 1671/1096 रकबा 0.37 हैक्टर है जो कि गै. मु. वाला से लगता हुआ है। खसरा नबंर 1673/1100 के बीच में खसरा नबंर 1097 की आराजी स्थित है। परन्तु मौके पर खसरा नबंर 1096 की दक्षिण माठ पर खसरा नबंर 1668/1098 गै.मु. ढाणी मौके पर ढाणी होने से रास्ता प्रस्तावित करने में समस्या है। वक्त बाद प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड पेश किया गया है। प्रार्थी ने खसरा नबंर 1673/1100 में पहुंच हेतु स्वयं के खसरा नबंर 1671/1096 के बीच दुसरा खसरा नबंर 1096 स्थित है। जो कि वर्तमान में मौके पर खाली है एवं प्रार्थी के दोनो खसरा नबंर के बीच की दुरी लगभग 20 मीटर है। प्रार्थी द्वारा रास्ते में आने वाली भुमि की राशि नियमानुसार डी.एल.सी. दर के दुगुने रेट से देय होगी। प्रार्थना पत्र की जांच मौका स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड से की गयी। मौके पर प्रार्थी के खेत से लगता वाला/नदी है। जहां से प्रार्थी ने रास्ता की मांग की है। मौके पर उक्त आराजी सरकारी भुमि गै.मु. नाली/नदी है। जहां से प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग की है।

5. हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव व दस्तावेज एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.03.2021 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी की आदेशिका दिनांक 02.02.2021 पेश कि जिसका अवलोकन किया जिसके अनुसार अपील जरिये विड्रोल खारिज की गई है। वर्तमान में कोई अपील विचाराधीन हो, ऐसा कोई दस्तावेज रेकर्ड पर नहीं है। प्रार्थी की आराजी खेत खसरा नम्बर 1098, 1673/1100 रकबा क्रमश 0.03, 0.76 हैक्टेयर मौजा करवाडा की जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 375 में दर्ज है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1671/1096 रकबा 0.37 हैक्टेयर है। जो खसरा नम्बर 1092 किस्म गै.मू.वाला लगती हुई है, उक्त वाला में से वर्तमान में आवागमन का रास्ता चल रहा है। तथा प्रार्थी खसरा नम्बर 1092 से अपनी आराजी खसरा नम्बर 1671/1096 में आवागमन करता है। व प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1671/1096 से खसरा नम्बर 1098, 1673/1100 में जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। खसरा नम्बर 1673/1100 व 1671/1096 के बीच आई आराजी खसरा नम्बर 1096 रकबा 0.61 है, जो मौजा करवाडा की जमाबंदी के खाता संख्या 9 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार रानीवाडा की ओर से जवाब के अनुसार खसरा नम्बर 1096 के अलावा कोई रास्ता नजदीकतम नही है। व प्रार्थी को खसरा नम्बर 1096 में रास्ते की लम्बाई 20 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.17 12:11:59 IST
Reason: SelfAttested

क्षेत्रफल 80 वर्गमीटर होगा, जिसकी डी0एल0सी0 दर 209000 प्रति हैक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—: आदेश :—

6. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 1098 व 1673/1100 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1096 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की लम्बाई 20 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 80 वर्गमीटर है। जो आगे प्रार्थी के खसरा नम्बर 1671/1096 से जोडता है। तथा खसरा नम्बर 1671/1096 में प्रार्थी खसरा नम्बर 1092 किस्म गै.मू. वाला में से आवागमन करता है। खसरा नम्बर 1096 की डी.एल.सी दर 209000 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्वि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी सख्या 1 के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थी से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति रसीद इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत राजस्व मौका फर्द अनुसार प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से मार्क लम्बाई 20 व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 80 वर्गमीटर का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.17 12:11:59 IST
Reason: SelfAttested